संख्या-693/2026/2008/22-2-2025-17(261)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप पुत्र श्री छोटे यादव, निवासी जनपद-फतेहपुर हाल पता जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप पुत्र श्री छोटे यादव, रासूपुर, थाना-औंग, जनपद-फतेहपुर, हालपता-133 राजीव बिहार, थाना-बिधनू, जिला-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.08.2009 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कक्षा 12 के छात्र का फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/2010 एवं 1590/10 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 364ए/149, 201 व 25/4 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-09, कानपुर नगर के दण्डादेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बंदी की अपील लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 07.08.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 11 माह, 17 दिन तथा 17 वर्ष, 07 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 07.08.2025 बन्दी की 38 वर्ष, 03 माह की आयु बंदी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (कक्षा 12 के छात्र का फिरौती हेतु अपहरण कर हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप (बन्दी संख्या-28807) पुत्र श्री छोटे यादव, निवासी जनपद-फतेहपुर हाल पता जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-693/2026/2008(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका क्रिमिनल सं0-129/2024 कुलदीप बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in